सत्यमेव जयते
भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS
नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

वाणिज्य पोत परिवहन सूचना - 03/2024

फ़ाइल सं. 13-20/1/2023-इंजि-नौमनि	दिनांक-09.02.2024
विषय- मारपोल के अंतर्गत इलेक्ट्रानिक रिकॉर्ड पुस्तकों का उपयोग-संबंधी	

क. पृष्ठभूमि

1. समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति ने अपने 74वें सत्र में निम्नलिखित संकल्प अपनाए:

i. आईएमओ संकल्प एमईपीसी312(74): मारपोल के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पुस्तकों (ईआरबी) के उपयोग संबंधी दिशानिर्देश

ii. आईएमओ संकल्प एमईपीसी314(74): वर्ष 1978 के प्रोटोकॉल के द्वारा संशोधित पोतों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, 1973 के अनुलग्नक में संशोधन।

iii. आईएमओ संकल्प एमईपीसी316(74): वर्ष 1978 के प्रोटोकॉल द्वारा संशोधित पोतों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, 1973 में संशोधन करने के लिए वर्ष 1997 के प्रोटोकॉल के अनुलग्नक में संशोधन।

iv. आईएमओ संकल्प एमईपीसी.317(74): एनओएक्स तकनीकी कोड 2008 में संशोधन (एससीआर सिस्टम के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पुस्तकें और प्रमाणन की आवश्यकताएँ)

2. भारत सरकार ने डिजिटल अभिगम्य, डिजिटल समावेशन, डिजिटल सशक्तिकरण और डिजिटल अन्तर को समाप्त कर भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया।

3. नौवहन महानिदेशालय (भारतीय समुद्रीय प्रशासन) ने समय-समय पर अपने विभिन्न परिपत्र/वापोप सूचना और अन्य संचार के माध्यम से निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पुस्तकों के उपयोग की अनुमति दी है:

i. ऑयल रिकॉर्ड बुक, भाग I और II (मारपोल, अनुलग्नक-I, विनियम 17.1 और 36.1);

ii. कार्गो रिकॉर्ड बुक (मारपोल अनुलग्नक II, विनियम 15.1):

iii. गार्बेज रिकॉर्ड बुक (मारपोल अनुलग्नक II, विनियम 15.1):

iv. ओजोन-क्षयकारी पदार्थ रिकॉर्ड बुक (मारपोल अनुलग्नक II, विनियम 15.1):

v. समुद्री डीजल इंजनों के स्तर और चालू/बंद स्थिति की रिकॉर्डिंग(मारपोल अनुलग्नक VI, विनियम 12.6)

vi. ईंधन तेल परिवर्तन का रिकॉर्ड (मारपोल अनुलग्नक VI, विनियम 14 .6) और

vii. इंजन मानदंडों का रिकॉर्ड पुस्तक(एनओएक्स तकनीकी कोड, अनुच्छेद 6.2.2.7)

viii.

4. यह वाणिज्य पोत परिवहन सूचना पोतों से प्रदुषण की रोकथाम हेतु अंतरराष्ट्रीय कॉन्वेंशन, 1973 संशोधित

9वी मंजिल, बीटा बिल्डींग, आई थिंक टेक्नो कैम्पस, कांजूर गाँव रोड, कंजूरमार्ग(पूर्व), मंबई - 400042
9th Floor, BETA Building, I-Think Techno Campus, Kanjur Village Road, Kanjurmarg (E), Mumbai-400042
फोन/Tel.: 91-22-25752040/1/2/3, फैक्स/Fax.: 91-22-25752029/35 ई-मेल/E-mail :dgship-dgs@nic.in वेबसाईट/Website: www.dgshipping.gov.in

(मारपोल) द्वारा आवश्यक रिकॉर्ड पुस्तकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कीपिंग सिस्टम के उपयोग की आवश्यकताओं का विवरण देता है और भारतीय पोतों पर मारपोल के काग़जी रिकॉर्ड पुस्तकों की जगह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम का उपयोग करने की इच्छुक सभी कंपनियों पर लागू होता है।

ख. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पुस्तकों के लिए आवश्यकताएँ

5. इलेक्ट्रॉनिक मारपोल रिकॉर्ड पुस्तकों में मारपोल द्वारा काग़जी रिकॉर्ड पुस्तकों में रिकॉर्ड की जाने वाली आवश्यक जानकारी शामिल होनी चाहिए।

6. किसी भारतीय जहाज पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम को व्यवस्थित करने से पहले नौमनि आदेश 06/2013 एवं तकनीकी और प्रचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आरओ समझौते के संकल्प एमईपीसी312(74): मारपोल के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पुस्तकों के उपयोग संबंधी दिशानिर्देश के अनुसार मान्यता प्राप्त संगठनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

7. भारतीय पोतों पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सिस्टम के व्यवस्थित होने के बाद, भारत सरकार की ओर से प्रासंगिक वैधानिक प्रमाणपत्र जारी करने वाले किसी भी मान्यता प्राप्त संगठन को आरओ द्वारा जारी किए गए प्रकार अनुमोदन प्रमाणपत्र और संकल्प एमईपीसी 312 (74) में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखने वाली प्रणाली को तकनीकी और प्रचालन मानदंडों को पूरा करने के लिए सत्यापित करना होगा और संकल्प एमईपीसी 312(74) के अनुलग्नक में "मारपोल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बुक का घोषणा-पत्र" जारी करेंगे।

ग. ध्वज प्रशासन सर्वेक्षकों और भारतीय पोतों को निर्देश

8. भारतीय प्रशासन सर्वेक्षक भारत में पत्तन राज्य निरीक्षण के दौरान विदेशी पोतों द्वारा उत्पादित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बुक को प्रशासन या आरओ द्वारा उसकी ओर से जारी "मारपोल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बुक का घोषणा-पत्र" प्रस्तुत करने के अधीन स्वीकार कर सकते हैं।

9. भारतीय पोतों को इस बात से अवगत होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पुस्तकों का उपयोग और उन पर निर्भरता किसी भी तरह से जहाज मालिकों और मालिकों को निरीक्षण के दौरान रिकॉर्ड को सही ढंग से बनाए रखने और उत्पादन करने के उनके मौजूदा कर्तव्य से राहत नहीं देती है, जैसा कि मारपोल द्वारा अपेक्षित है। इसलिए, यदि कोई जहाज पीएससी निरीक्षण के दौरान भारत की ओर से आरओ द्वारा प्रदान की गई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बुक या घोषणा प्रस्तुत नहीं कर सकता है, तो पत्तन राष्ट्र नियत्रंण अधिकारी रिकॉर्ड की वैकल्पिक सत्यापित प्रति या हार्ड कॉपी रिकॉर्ड बुक की जांच करने का अनुरोध कर सकता है।

10. इसे नौवहन महानिदेशक के अनुमोदन से जारी किया जाता है एवं यह इस सूचना के जारी होने की तिथि से लागू होगा।

जाने, लक्ष्यों आदि की समीक्षा आवधिक (वार्षिक/ छमाही) रूप से करेंगे ताकि पीएससी व्यवस्था में निरंतर सुधार सुनिश्चित किया जा सके और पीएससी निरीक्षणों हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जा सकें।

इसे नौवहन महानिदेशक के अनुमोदन से जारी किया जाता है और यह इस सूचना के जारी होने की तारीख से प्रवृत्त है।

अ चाकी

(अनिरुद्ध चाकी)
इंजीनियर एवं पोत सर्वेक्षक (तकनीकी)

संलग्न: यथोक्त

सेवा में,

1. प्रधान अधिकारी/ सवावि, मुंबई/कोलकाता/चेन्नई/कांडला/कोच्चि
2. प्रभारी सर्वेक्षक, सवावि, गोवा/जामनगर/पोर्ट ब्लेयर/ विशाखापट्टनम/तूतीकोरिन/नोएडा/हल्दिया/पारादीप/ मंगलौर
3. सभी मान्यता संगठन
4. मुख्य सर्वेक्षक/नॉटिकल सलाहकार/ उप मुख्य पोत सर्वेक्षक
5. कंप्यूटर सेल को नौमनि के वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु

(अस्वीकरण- हिन्दी या अंग्रेज़ी पाठ में असमानता होने या कानूनी विवाद की स्थिति में मूल अंग्रेज़ी पाठ ही मान्य होगा।)